हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the 27-01-2021**

Order

Sub :- **Diversion of 5.494 ha of forest land in favour of HP Power Transmission Corporation Limited for the construction of 220/132KV, 2X160/200 MVA Sub Station at Andheri (Kala Amb), within the jurisdiction of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/04/121/2019/FC/2178** **dated 02-01-2020** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **5.494** हैक्टेयर वन भूमि को **HP Power Transmission Corporation Limited,** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार RF Toderpur C-3, Range-Nahan में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 10.988 है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 20-01-2021 in I.A. No. 33443/2020 and I.A.No.33445/2020 in WP(C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad vs. UoI & Ors.

4 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

S/FCA

APCCF(FCA)
29/1

PCCF(HoFF)
28/1/21

Contd./-2

8 The space proposed to be used to keep spare tower material for upcoming projects/Transmission line will not be used for any other purposes without prior approval of Central Govt. under the provision of FCA, 1980

9 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा

11 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 208 trees स अधिक न हो।

12 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/ प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।

14 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

15 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना वन विभाग हि० प्र०/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

16 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

17 A lease-deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Hamirpur Distt. Hamirpur, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, **27-01-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Sirmour at Nahan, Distt., Sirmaur, Himachal Pradesh.
6. DFO Nahan Forest Division, Distt., Sirmaur H.P.
7. The HP Power Transmission Corporation Limited Shimla H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 27-1-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.